

न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड, म0प्र0
(समक्ष:- सतीश कुमार गुप्ता)

विशेष सत्र प्रकरण क्रं0 08/16
संस्थापन दिनांक 13-07-2016

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा जिला भिण्ड (म0प्र0)	अभियोगी
--	----------------

॥ वि रु द्ध ॥

मंगल राठौर पुत्र नाथूराम राठौर आयु 23 वर्ष निवासी नूरगंज वार्ड क्रमांक 5 गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)	अभियुक्त
---	-----------------

म0प्र0 राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक
अभियोजक।
अभियुक्त मंगल की ओर से श्री के0पी0 राठौर अभिभाषक।

// निर्णय //

(आज दिनांक 30.01.2018 को घोषित)

नोट:- प्रकरण में अभियुक्त पर अभियोक्त्री के साथ बलात्कार व लैंगिक हमला किये जाने का भी आरोप है। ऐसी स्थिति में निर्णय में अभियोक्त्री का नाम नहीं लिखा जाकर, अभियोक्त्री के नाम के प्रथम अंग्रेजी अक्षर अर्थात् अभियोक्त्री "एन" लिखा जा रहा है।

01. उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 363, 366-क व 376 (2)(एन) एवं 376(2)(आई) भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत इस आशय के आरोप हैं कि उसने दिनांक 07.06.16 को 15:30 बजे फरियादी मायाराम के घर का दरवाजा गोतम नगर गोहद चौराहा जिला भिण्ड से उसकी पुत्री अभियोक्त्री-एन, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी, को उसके विधिपूर्ण संरक्षक उसके पिता की सम्मति के बिना ले गया/बहलाकर ले गया **तथा** अभियोक्त्री-एन का व्यपहरण/अपहरण अयुक्त संभोग करने के लिये उसे विवश या विलुब्ध करने या यह संभाव्य जानते हुये कि अयुक्त संभोग करने के लिये उसे विवश या विलुब्ध किया जावेगा उसका व्यपहरण किया **एवं** दिनांक 07.06.16 से दिनांक 13.06.16 के मध्य अभियोक्त्री-एन, जो कि 16 वर्ष से कम उम्र की है, के साथ बार-बार बलात्कार करते हुये गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया।

02. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 08.06.16 को 20:00 बजे, थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड में उपस्थित होकर फरियादी मायाराम कुशवाह द्वारा इस आशय की मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि, वह गोतम नगर गोहद चौराहा जिला भिण्ड का रहने वाला है और उसके घर अभियुक्त मंगल पुत्र नाथू राठौर निवासी नूरगंज गोहद का आना जाना था। दिनांक 07.06.16 को अपनी पत्नी रामा व दामाद बंटी कुशवाह के साथ गोहद बाजार में कपड़े व अन्य सामान लेने के लिये गया था। उसकी पुत्री अभियोक्त्री-एन उम्र 16 साल एवं अन्य पुत्री अनीता को घर पर छोड़ गया था। सौदा करने के बाद गोहद से घर वापस आया तो पुत्री अनीता ने उसे बताया कि अभियुक्त मंगल एवं अभियोक्त्री-एन को दरवाजे पर खड़ा छोड़कर अंदर घर में काम करने आ गयी थी और फिर थोड़ी देर बाद जाकर देखा कि अभियोक्त्री-एन नहीं मिली और उसे अभियुक्त मंगल शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले गया है। उक्त मौखिक रिपोर्ट पर से आरक्षी केंद्र गोहद चौराहा में अभियुक्त मंगल के विरुद्ध धारा 363 व 366 भा0दं0सं0 के अंतर्गत अपराध क्रमांक 133/16 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-3 के अनुसार अपराध पंजीबद्ध किया गया।

03. उक्त घटना के संबंध में विवेचना के अनुक्रम में साक्षी मायाराम कुशवाह का प्र0डी0-1, बंटी उर्फ रामनिवास का प्र0डी0-2, रामादेवी व अनीता के कथन लेखबद्ध किये गये तथा उक्त दिनांक को ही घटनास्थल का नक्शा मौका प्र0पी0-4 तैयार किया जाकर, पटवारी हल्का से नजरी नक्शा लिया गया एवं दिनांक 13.06.16 को अभियोक्त्री-एन को प्र0पी0-10 के अनुसार दस्तयाब होने पर उसका कथन प्र0पी0-1 लेखबद्ध करते हुये उसका प्र0पी0-9 के अनुसार मेडीकल परीक्षण कराया गया तथा अस्पताल से प्राप्त अभियोक्त्री-एन की एक सीलबंद पोटली में प्यूबिक हेयर व बैजार्नल स्वाब, बैजार्नल स्लाईड व कथई कलर की पेंटी व सील नमूना जप्ती पत्रक प्र0पी0-7 के अनुसार जप्त किया गया तथा उक्त दिनांक को ही उसका प्र0पी0-14 के अनुसार उम्र निर्धारण हेतु एक्सरे परीक्षण कराया गया। तदोपरांत अभियोक्त्री-एन के धारा 164 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत कथन प्र0पी0-2 लेखबद्ध कराये गये तथा प्र0पी0-5 अनुसार अभियोक्त्री-एन को सुपुर्दगी पर दिया गया एवं उक्त दिनांक को ही अभियुक्त मंगल सिंह राठौर को प्र0पी0-11 अनुसार गिरफ्तार कर, उसका प्र0पी0-8 अनुसार मेडीकल परीक्षण कराया गया और प्र0पी0-6 अनुसार अभियुक्त की एक सीलबंद पैकेट जिसमें आरोपी की चड्डी, सीलबंद पैकेट में सीमन स्लाईड व सील नमूना जप्त किया गया। जप्तशुदा प्रदर्शो ए,बी,सी के संबंध में संयुक्त निदेशक क्षेत्रीय न्यायायिक विज्ञान प्रयोगशाला ग्वालियर को डाफ्ट भेजे जाने पर वहाँ से जाँच प्रतिवेदन प्र0पी0-12 प्राप्त हुआ तथा दिनांक 18.06.16 को अभियोक्त्री-एन की माँ रामादेवी के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियोक्त्री-एन के कथन सहित विवेचना के आधार पर धारा 376 भा0दं0सं0 व 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का इजाफा करते हुये अनुसंधान पूर्ण होने के उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध धारा 363, 366 व 376 भा0दं0सं0 एवं धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से

बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत अभियोग पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया।

04. प्रकरण में अभियुक्त के द्वारा प्रथम दृष्टया धारा 363, 366-क व 376(2)(एन) एवं 376(2)(आई) भा0दं0सं0 एवं धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध घटित किये जाने के संबंध में प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार पाये जाने से अभियुक्त के विरुद्ध उक्त धाराओं के तहत आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध घटित करना अस्वीकार करते हुये विचारण चाहा। अभियोजन की ओर से अपने मामले को प्रमाणित करने के लिये साक्षी अभियोक्त्री अ0सा0-1, मायाराम अ0सा0-2, रामादेवी अ0सा0-3, कु0 अनीता अ0सा0-4, गोप सिंह अ0सा0-5, डॉ0 धीरज गुप्ता अ0सा0-6, डॉ0 राधा अग्रवाल अ0सा0-7, रामनिवास अ0सा0-8, परसराम अ0सा0-9, कीर्ति अजमेरिया अ0सा0-10, विनोद छावई अ0सा0-11, रामकुमार पाठक अ0सा0-12 तथा रेडियोलॉजिस्ट आर0के0 सिंह अ0सा0-13 का परीक्षण कराया गया तत्पश्चात अभियुक्त का द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्त ने अपने-आप को निर्दोष होना तथा झूठा फँसाया जाना व्यक्त करते हुये बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया है।

05. इस प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं:-

01.	क्या घटना के समय अभियोक्त्री-एन, 18 वर्ष से कम उम्र की होकर नाबालिग थी ?
02.	क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक 07.06.16 को 15:30 बजे फरियादी मायाराम के घर का दरवाजा गोतम नगर गोहद चौराहा जिला भिण्ड से उसकी पुत्री अभियोक्त्री-एन, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी, को उसके विधिपूर्ण संरक्षक उसके पिता की सम्मति के बिना ले गया/बहलाकर ले गया ?
03.	क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियोक्त्री-एन का व्यपहरण/अपहरण अयुक्त संभोग करने के लिये उसे विवश या विलुब्ध करने या यह संभाव्य जानते हुये कि अयुक्त संभोग करने के लिये उसे विवश या विलुब्ध किया जावेगा उसका व्यपहरण किया ?
04.	क्या अभियुक्त ने दिनांक 07.06.16 से दिनांक 13.06.16 के मध्य अभियोक्त्री-एन, जो कि 16 वर्ष से कम उम्र की है, के साथ बार-बार बलात्कार किया ?
05.	क्या अभियुक्त ने दिनांक 07.06.16 से दिनांक 13.06.16 के मध्य अभियोक्त्री-एन जो कि नाबालिग स्त्री है, के साथ गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया ?
06.	दण्डादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ साक्ष्य का विश्लेषण एवं सकारण निष्कर्ष ॥

विचारणीय प्रश्न कमांक-01

06. उम्र निर्धारण के संबंध में सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने सम्मानीय न्याय दृष्टांत **जर्नेलसिंह विरुद्ध हरियाणा राज्य, 2013(7) एस.सी.सी. 263** में यह अभिनिर्धारित किया है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों में अभियोक्त्री की आयु, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2007 के नियम 12 के अनुसार निर्धारित की जाना चाहिए। नियम 12 के अनुसार आयु के संबंध में मैट्रिक या समकक्ष प्रमाणपत्र के आधार पर, उसके उपलब्ध न होने पर जहां बालक पहली बार स्कूल (प्ले स्कूल को छोड़कर) गया, उस स्कूल के भर्ती रजिस्टर में अंकित जन्म तिथि के आधार पर, उसके उपलब्ध न होने पर ग्राम पंचायत या नगर पालिका द्वारा दिये गये जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर, उसके उपलब्ध न होने पर उम्र निर्धारण संबंधी ओसीफिकेशन टेस्ट व अन्य साक्ष्य के आधार पर आयु निर्धारित की जाना चाहिए।

07. उक्त सम्मानीय न्यायदृष्टांत में उम्र निर्धारण के संबंध में उपरोक्तानुसार प्रतिपादित महत्वपूर्ण न्यायसिद्धांत के आलोक में विचाराधीन प्रकरण के संपूर्ण अभिलेख का परिशीलन करने पर पाया जाता है कि अभियोक्त्री-एन के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से यद्यपि अभिलेख पर कोई दस्तावेजी प्रमाण जैसे मार्कशीट, भर्ती रजिस्टर व जन्म प्रमाण पत्र इत्यादि में से कुछ भी पेश नहीं किया गया है, लेकिन अभिलेख के परिशीलन से यह भी स्पष्ट है कि साक्ष्य पत्रिका पर अंकित निशानी अंगूठा सहित अभियोक्त्री-एन एवं उसके माता-पिता मायाराम अ0सा0-2 व रामादेवी अ0सा0-3 के न्यायालयीन कथनों अनुसार अभियोक्त्री-एन कभी किसी स्कूल में कोई दाखिला नहीं हुआ है एवं वह निरक्षर होकर निशानी अंगूठा लगाती है। साथ ही अभियोक्त्री-एन के माता-पिता मायाराम अ0सा0-2 व रामादेवी अ0सा0-3 का अपने कथनों में स्पष्ट रूप से कहना है कि उनके पास अभियोक्त्री-एन की जन्मतिथि से संबंधित कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है और मामले में भी बचाव पक्ष का भी ऐसा कहना नहीं है कि अभियोक्त्री-एन की जन्मतिथि से संबंधित कोई प्रमाण पत्र या अंकसूची उपलब्ध होने के बावजूद अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर पेश नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में सुस्थापित विधिक स्थिति के अनुसार न्यायालय द्वारा अभियोक्त्री-एन की उम्र निर्धारण के संबंध में प्रकरण में संलग्न ओसीफिकेशन टेस्ट सहित अन्य साक्ष्य पर विचार किया जाना नितांत आवश्यक हो जाता है।

08. अभियोक्त्री-एन का ओसीफिकेशन टेस्ट करने वाले रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर आर.के.सिंह अ0सा0-13 ने अपने न्यायालयीन कथनों में एक्सरे रिपोर्ट को प्र0पी0-14 एवं एक्सरे प्लेट को आर्टिकल

ए-1 व आर्टिकल ए-2 के रूप में प्रमाणित करते हुये तथा प्रतिपरीक्षण में भली-भांति स्थिर रहते हुये प्रकट किया है कि वह दिनांक 13.06.16 को जिला चिकित्सालय भिण्ड में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ था और उक्त दिनांक को थानाप्रभारी गोहद चौराहा द्वारा सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय भिण्ड के माध्यम से अभियोक्त्री-एन पुत्री मायाराम निवासी गोतम नगर गोहद को प्रस्तुत किये जाने पर अभियोक्त्री-एन की कोहनी, कंधे एवं कलाई का एकसरे परीक्षण किया था और एकसरे परीक्षण में कोहनी की रेडियस अलना बोन के उपरी हिस्से की एपीफाईसिस जुड़ी हुई थी जो कि सामान्यतः 17 वर्ष की आयु में जुड़ती है एवं कंधे की ह्यूमरस बोन के हेड की एपीफाईसिस नहीं जुड़ी थी, जो कि सामान्यतः 18 वर्ष की आयु में जुड़ती है एवं कलाई की रेडियस अलना बोन के निचले हिस्से की एपीफाईसिस भी नहीं जुड़ी थी, जो कि सामान्यतः 19 वर्ष की आयु में जुड़ती है। अतएव ओसीफिकेशन टेस्टकर्ता विशेषज्ञ डॉ० आर०के० सिंह अ०सा०-13 ने अपने पदीय कर्तव्य के अनुक्रम में की गई कार्यवाही बावत् न्यायालयीन कथनों में एकसरे परीक्षण के आधार पर मामले में स्पष्ट रूप से निष्कर्ष दिया है कि अभियोक्त्री-एन की उम्र 17 से 18 वर्ष के बीच की थी और उसकी उम्र के 17 वर्ष पूरे हो चुके थे एवं 18 वर्ष पूरे नहीं हुये थे एवं उन्होंने उम्र का कोई विशेष वर्ष नहीं बताया है और प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष द्वारा विशेषज्ञ डॉ० आर०के० सिंह अ०सा०-13 के उक्त कथनों को कोई उल्लेखनीय चुनौती भी नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में डॉ० आर०के० सिंह अ०सा०-13 के उक्त कथनों पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण दर्शित नहीं होता है।

09. उपरोक्त के अलावा मामले में यह भी उल्लेखनीय है कि स्वयं अभियोक्त्री-एन अ०सा०-1 ने अपने न्यायालयीन कथनों में स्पष्ट रूप से घटना के समय अपनी उम्र 16 वर्ष की होना बताया है तथा उसके माता-पिता मायाराम अ०सा०-2 व रामादेवी अ०सा०-3 ने भी अपने न्यायालयीन कथनों में अभियोक्त्री-एन की उम्र घटना के समय 16 वर्ष की होना बताया है और प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त दोनों साक्षीगण मायाराम अ०सा०-2 व रामादेवी अ०सा०-3 अपने उक्त कथनों पर स्थिर रही है एवं उन्होंने इस संबंध में बचाव पक्ष द्वारा रखे गये सुझाव को दृढ़तापूर्वक गलत होना बताया है कि अभियोक्त्री की उम्र घटना के समय 18 वर्ष से अधिक थी एवं मुख्य परीक्षण में प्रकट कथनों को दोहराते हुये प्रकट किया है कि अभियोक्त्री-एन की उम्र घटना के समय 16 वर्ष की होकर 18 वर्ष से कम थी तथा अभियोक्त्री-एन के उक्त कथनों को विस्तारपूर्वक किये गये प्रतिपरीक्षण के दौरान बचाव पक्ष की ओर से कोई भी उल्लेखनीय चुनौती नहीं दी गई है और घटना के समय अभियोक्त्री-एन के अव्यस्क होने संबंधी उक्त तीनों महत्वपूर्ण साक्षीगण के कथनों की पुष्टि मामले में ओसीफिकेशन टेस्टकर्ता विशेषज्ञ डॉ० आर०के० सिंह अ०सा०-13 के कथनों से भी होना पाई जाती है। अतएव उक्त तीनों साक्षीगण के इन कथनों पर भी अविश्वास किये जाने का कोई कारण दर्शित नहीं होता है कि घटना के समय अभियोक्त्री-एन की उम्र 18 वर्ष से कम होकर 16 वर्ष की थी।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभिलेख पर प्रस्तुत विश्वसनीय साक्ष्य से यह प्रमाणित पाया जाता है कि घटना के समय अभियोक्त्री-एन, 16 वर्ष से अधिक की होकर व 18 वर्ष से कम उम्र की होकर नावालिग थी।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-02 लगायत 05

11. अभिलेखगत साक्ष्य की दृष्टिगत रखते हुये विवेचन में तथ्यों की पुनरावृत्ति से बचने के लिये उक्त परस्पर संबंधित सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

12. जहां तक उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का संबंध है, अभिलेखगत साक्ष्य सहित प्रकरण के संपूर्ण अभिलेख का गहन परिशीलन तथा मूल्यांकन करने पर पाया जाता है कि अभियोक्त्री-एन की बहन कु0 अनीता अ0सा0-4 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि वह अभियुक्त मंगल को जानती है, जो कि ऑटो चलाता है एवं अभियोक्त्री-एन उसकी छोटी बहन है। घटना दिनांक को अभियोक्त्री-एन घर से चली गई थी उस समय साढ़े तीन बजे का समय था। उस समय उसके मम्मी, पापा और जीजा गोहद बाजार गये थे एवं घर में वह और उसकी छोटी बहन अभियोक्त्री-एन थी एवं वह पीने का पानी लेने के लिये अंदर गई थी, तभी मंगल उसकी बहन अभियोक्त्री-एन को ऑटो में बिठाकर गोहद की तरफ ले गया था और घटना के 5-6 दिन बाद अभियोक्त्री-एन घर आई थी तो अभियोक्त्री-एन ने उसे कुछ नहीं बताया था।

13. इसी प्रकार अभियोक्त्री-एन के पिता मायाराम अ0सा0-2 ने अपने कथनों में बताया है कि घटना दिनांक को वह, उसकी पत्नी एवं दामाद बंटी गोहद बाजार सामान खरीदने गये थे व उसकी दो बेटी अभियोक्त्री-एन व अनीता घर पर रह गई थीं। करीब 4 बजे जब वह बाजार से लौटकर घर पहुंचा था तो उसकी बच्ची अनीता ने उसे बताया कि मंगल राटौर अभियोक्त्री-एन को ऑटो में बिठाकर ले गया है, फिर वह गोहद आया और लड़की को ढूँढा तो लड़की नहीं मिली। ऑटो वालों से पूछने पर बताया कि मंगल लड़की को साथ में ले गया है। मायाराम अ0सा0-2 का यह भी कहना है कि वापस लौटने पर उनकी लड़की अभियोक्त्री-एन ने उसे बताया था कि उसे जीप में बिठाकर अभियुक्त मंगल मौ की तरफ ले गया था तथा बंबा पर एक रात रोका था और फिर अपनी बुआ के यहां किसी गांव में ले गया था तथा अभियोक्त्री-एन की माँ रामादेवी अ0सा0-3 ने भी अपने न्यायालयीन कथनों में उपरोक्तानुसार कथन करते हुये बताया है कि उसकी पुत्री अभियोक्त्री-एन ने छठवें दिन वापसी पर उसे यह भी बताया था कि अभियुक्त मंगल उसे शादी का झांसा देकर जबरदस्ती अपने साथ ले गया था और उसके साथ गलत काम किया था।

14. इस प्रकार उक्त तीनों साक्षीगण मायाराम अ0सा0-2, रामादेवी अ0सा0-3 तथा अनीता अ0सा0-4 ने अपने न्यायालयीन कथनों में प्रश्नगत घटना समय व स्थान पर अभियुक्त मंगल द्वारा अव्यस्क अभियोक्त्री-एन को ले जाना बताया है एवं रामादेवी अ0सा0-3 ने अभियुक्त मंगल द्वारा अभियोक्त्री-एन के साथ बुरा काम करना बताया है, लेकिन जहां एक ओर उक्त तीनों साक्षीगण के कथनों में अभिलेख पर महत्वपूर्ण एवं सारवान विरोधाभाष होना पाया जाता है, वहीं दूसरी ओर उक्त तीनों साक्षीगण के उक्त कथनों की रंचमात्र भी पुष्टि स्वयं अभियोक्त्री-एन अ0सा0-1 सहित उसके दोनों बहनोई होकर करीबी नातेदार रामनिवास अ0सा0-8 व परसराम अ0सा0-9 के कथनों से नहीं होना पाई जाती है, क्योंकि करीबी नातेदार परसराम अ0सा0-9 का कहना है कि अभियोक्त्री-एन उसकी साली है एवं उसे नहीं मालूम कि अभियोक्त्री-एन किसके साथ कहां गई थी तथा अन्य करीबी नातेदार रामनिवास अ0सा0-8 का कहना है कि अभियोक्त्री-एन उसकी साली है एवं उक्त साक्षी ने अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत घटना कारित किये जाने के संबंध में कुछ भी प्रकट नहीं किया है, बल्कि प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि अभियोक्त्री-एन कैसे व किसके साथ गई थी।

15. इसी प्रकार मामले में स्वयं पीड़ित/अभियोक्त्री-एन अ0सा0-1 ने भी अपने न्यायालयीन कथनों में अभियोजन के मामले के अनुसार प्रश्नगत घटना के समय व स्थान पर अभियुक्त मंगल द्वारा उसे उसके घर से शादी का झांसा देकर ले जाने एवं उसके साथ बलात्संग कारित किये जाने के संबंध में प्रकटन नहीं किया है, बल्कि उक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षी अभियोक्त्री-एन अ0सा0-1 का अपने न्यायालयीन कथनों में मात्र यही कहना है कि दिनांक 07.06.16 को वह एवं उसकी बहन अनीता गोतम नगर गोहद चौराहा स्थित अपने घर पर थे और उसके मम्मी-पापा एवं बंटी जीजा गृहस्थी का सामान लेने के लिये मोटरसाईकिल से बाजार गये थे, तो दिन के तीन-साढ़े तीन बजे वह अपने घर से ऑटो चालक मंगल के ऑटो में बैठकर अपने मम्मी-पापा के पास गोहद के बाजार में आई थी और फिर बाजार गोहद में उसे बंटी, शाहिद एवं माखन मिले थे और वे तीनों उसे अपनी बुआ के घर मौ के पास ले गये थे और बारी-बारी से बलात्कार किया था और बाद में बंटी ने मार्शल गाडी से उसे लाकर थाने में हाजिर कराया था। इस प्रकार स्वयं पीड़ित अभियोक्त्री-एन ने अपने कथनों में अभियुक्त मंगल के विरुद्ध अभियोजन के अनुसार प्रश्नगत घटना कारित किये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं, बल्कि अभियोजन के इस मामले के विपरीत तथाकथित बंटी, शाहिद व माखन नामक व्यक्तियों द्वारा उसके साथ बलात्कार की घटना कारित किया जाना बताया है।

16. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक द्वारा उक्त अभियोक्त्री-एन से विस्तृत सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसके कथनों में ऐसी कोई भी बात अभिलेख पर नहीं आई है, जो कि

विचारणीय प्रश्नों के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त मंगल के विरुद्ध अभियोजन के मामले को बल प्रदान करती हो, बल्कि उक्त विचारणीय अपराधों के संबंध में अर्थात् अभियोक्त्री-एन को ले जाने व उसके साथ बलात्संग कारित किये जाने के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा रखे गये समस्त सुझावों को उक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षी अभियोक्त्री-एन ने दृढ़तापूर्वक गलत होना बताते हुये पुलिस को प्र0पी0-1 के अनुसार कथन दिये जाने से इंकार किया है और प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि अभियुक्त मंगल उसे किसी प्रकार से बहला फुसलाकर नहीं ले गया था और अभियुक्त मंगल के द्वारा उसके साथ कोई बलात्कार नहीं किया गया है।

17. यद्यपि न्यायालयीन कथनों में अभियोक्त्री-एन ने अभियोजन पक्ष द्वारा सूचक प्रश्न पूँछे जाने के दौरान इस संबंध में स्वीकारोक्तियां की हैं कि उसने संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत प्र0पी0-2 का कथन दिया था, लेकिन प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का स्पष्ट रूप से कहना है कि उसने प्र0पी0-2 के कथन दबाव में दिये थे, क्योंकि पुलिस वालों एवं दो-तीन अन्य व्यक्तियों ने उसे जबरदस्ती उक्त बात बताने के लिये कहा था, इस कारण से उनके कहने व उनके डर से दिये थे और वैसे भी सम्मानीय न्यायदृष्टांत **बैजनाथशाह विरुद्ध स्टेट ऑफ बिहार 2010 (6) एस.सी.सी. 736** में यह भली भांति सुस्थापित किया जा चुका है कि धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत किए गए कथन तात्विक साक्ष्य नहीं होते हैं वह केवल साक्षी के द्वारा किए गए पूर्ववर्ती कथन की तरह हैं और उस कथन को करने वाले व्यक्ति के न्यायालयीन कथनों की पुष्टि या खण्डन करने हेतु उपयोग में लाया जा सकता है, इस प्रकार के कथन के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता तथा यही विधिक स्थिति प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में है कि वह सारवान प्रकृति की साक्ष्य नहीं होती है एवं अभिलेख पर विचारणीय अपराध के संबंध में स्वयं पीड़िता/अभियोक्त्री-एन के कथनों में ही मूल साक्ष्य का अभाव है एवं उसके माता-पिता मायाराम अ0सा0-2 व रामादेवी अ0सा0-3 तथा बहन कु0 अनीता अ0सा0-4 के कथनों के मध्य जहां एक ओर महत्वपूर्ण व सारवान विरोधाभास है, वहीं दूसरी ओर उनके कथन अनुसमर्थनकारी स्वरूपभर के हैं और अभिलेख से यह प्रकट है कि उक्त तीनों ही साक्षीगण मायाराम अ0सा0-2 व रामादेवी अ0सा0-3 तथा अनीता अ0सा0-4 द्वारा दिये गये कथन अनुश्रुत स्वरूप के होने से ग्राह्य योग्य प्रकट नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं धारा 164 दं0प्र0सं0 के कथनों में अभियुक्त का नाम आने तथा अभियुक्त द्वारा अपहरण व बलात्कार की घटना कारित किये जाने के संबंध में बताये जाने मात्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं मानी जा सकती है।

18. इसी प्रकार मामले में प्राप्त एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्र0पी0-13 के अवलोकन से पाया जाता है कि रिपोर्ट में अंकित अनुसार प्रदर्श ए,बी,सी-2,सी-3 तथा सी-4 पर वीर्य के धब्बे एवं मानव शुक्राणु

पाये जाना बताया है, लेकिन उक्त रिपोर्ट में जहाँ एक ओर ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि उक्त शुक्राणु अभियुक्त मंगल के हैं और अभियुक्त मंगल के विरुद्ध अभिलेख पर विचारणीय अपराधों के संबंध में मूल एवं महत्वपूर्ण साक्ष्य का अभाव है। ऐसी स्थिति में उक्त रिपोर्ट प्र0पी0-13 का भी कोई लाभ अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन पक्ष को नहीं दिया जा सकता है।

19. मामले में शेष सभी साक्षीगण अर्थात् मेडीकल विशेषज्ञगण डॉ0 धीरज गुप्ता अ0सा0-6 व डॉ0 राधा अग्रवाल अ0सा0-7 तथा रिपोर्ट लेखक/विवेचना/जप्ती से संबंधित साक्षीगण रामकुमार पाठक अ0सा0-12, विनोद अ0सा0-11, कीर्ति अजमेरिया अ0सा0-10, गोप सिंह अ0सा0-5 औपचारिक स्वरूप के साक्षी हैं तथा अभिलेख पर उक्त विचारणीय प्रश्नों के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण एवं मूल साक्ष्य का अभाव है। ऐसी स्थिति में मामले में उक्त औपचारिक साक्षीगण के कथनों की विषद विवेचना किया जाना आवश्यक नहीं रह जाता है, क्योंकि उक्त औपचारिक साक्षीगण के कथन मात्र के आधार पर विचारणीय अपराधों के संबंध में अभियुक्त मंगल की दोषसिद्धि सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।

20. अतः उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर अभिलेख पर विचारणीय प्रश्नों के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण एवं मूल साक्ष्य का अभाव होने से युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि अभियुक्त मंगल ने दिनांक 07.06.16 को 15:30 बजे फरियादी मायाराम के घर का दरवाजा गोतम नगर गोहद चौराहा जिला भिण्ड से उसकी पुत्री अभियोक्त्री-एन, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी, को उसके विधिपूर्ण संरक्षक उसके पिता की सम्मति के बिना ले गया/बहलाकर ले गया तथा अभियोक्त्री-एन का व्यपहरण/अपहरण अयुक्त संभोग करने के लिये उसे विवश या विलुब्ध करने या यह संभाव्य जानते हुये कि अयुक्त संभोग करने के लिये उसे विवश या विलुब्ध किया जावेगा उसका व्यपहरण किया एवं दिनांक 07.06.16 से दिनांक 13.06.16 के मध्य अभियोक्त्री-एन, जो कि 16 वर्ष से कम उम्र की है, के साथ बार-बार बलात्कार करते हुये गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया। तदनुसार विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 लगायत 5 प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-6

21. उपरोक्त संपूर्ण विवेचन एवं विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 लगायत 5 के निराकरण के अनुसार अभियुक्त मंगल के विरुद्ध अभियोजन अपना यह मामला युक्तियुक्त संदेह से परे महत्वपूर्ण साक्ष्य से प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त मंगल को धारा 363, 366-क व 376 (2)(एन) एवं 376(2)(आई) भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 भा0दं0सं0 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

22. अभियुक्त के जमानत प्रपत्र भारमुक्त किये जाते हैं।
23. प्रकरण में जप्तशुदा सामग्री मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में नष्ट किये जायें। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।
24. अभियुक्त का धारा 428 द.प्र.सं के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र तैयार कर प्रकरण के साथ संलग्न किया जावे।
25. निर्णय की प्रति धारा 365 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अपर लोक अभियोजक के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट, भिण्ड को भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(सतीश कुमार गुप्ता)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड

(सतीश कुमार गुप्ता)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड